जरिये ई–मेल

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक एफ 5(230)प्राशिनि / ई–2 / 2012 /   दिनांक

परिपत्र

अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के वेब पोर्टल पर अनुमोदन हेतु ऑन लाईन आवेदन करने के दौरान विभागीय प्रवेश विवरणिका की सीट मेट्रिक्स एवं प्राविधिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में अंकित शाखाओं से इतर समकक्ष अन्य शाखाओं के नाम अंकित कर दिये जाते हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

अतः समस्त राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि वे सत्र 2013–14 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के वेब पोर्टल पर अनुमोदन हेतु ऑन लाईन आवेदन करने के दौरान विभागीय प्रवेश विवरणिका की सीट मेट्रिक्स एवं प्राविधिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में अंकित शाखाओं के अनुसार ही आवेदन करें।

उपरोक्तानुसार आवेदन नहीं करने की स्थिति में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों हेतु संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेवार होंगें।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांक एफ 5(230)प्राशिनि / ई–2 / 2012 / 10017–20   दिनांक 3/9/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2 संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर।
3 समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक जरिये ई–मेल।
4 **प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा** को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र मय संलग्नक को समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को ई–मेल द्वारा प्रेषित करें तथा इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड करने का श्रम करावें।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा